(33505 FINAL)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfotnpanna@mp.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029

क्रमांक / मा0चि0 / 2019 / पन्ना,दिनांक ....

प्रति,

महाप्रबन्धक
मध्य प्रदेश जल निगम
क्रियान्वयन इकाई पन्ना (म.प्र.)

विषय :– मझगांय समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 3.71 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाईप लाईन बिछाने हेतु भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही के संबंध में ऑनलाईन प्रस्ताव क्र0/FP/MP/Water/33505/2018

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र क्र0 / मा0चि0 / 341 दिनांक 08.03.2019
2. आपका पत्र क्र0 / 330 दिनांक 09.04.2019

————00————

विषयांतर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्र क्र0–1 के माध्यम से वनमंडल उत्तर पन्ना अन्तर्गत 22 स्थलों पर पाईप लाईन डालने की आपको सैद्धांतिक अनुमति जारी की गई थी जिसके संदर्भ में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त निर्देशों के पालन में उपरोक्त अनुमति वर्ष 1980 के पूर्व के मार्गों के अन्तर्गत आने वाले राईट ऑफ–वे के अन्तर्गत होगी, इसके अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र पर उपरोक्त अनुमति मान्य नहीं होगी, अतः आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र0–2 के माध्यम से प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार निम्न क्षेत्र में राईट ऑफ–वे के अन्तर्गत औपचारिक अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र0	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	पाईप लाईन की कुल लम्बाई (मीटर में)	पाईप लाईन की चौड़ाई अधिकतम (मीटर में)	प्रभावित वनक्षेत्र (हे0 में)
1.	अजयगढ़ / धरमपुर	P-38	172	0.50	0.008
2		P-168	244	0.50	0.012
3		P-169	417.94	0.50	0.020
4		P-213	1174.96	0.50	0.058
5		P-53,55	2193.32	0.50	0.109
6		P-187	2628.31	0.50	0.131
7		P-189	1242.77	0.50	0.061
8		P-180	442.87	0.50	0.022
9		P-172	280.14	0.50	0.014
10		P-173	4915.34	0.50	0.245
11		P-12	2335.59	0.50	0.116
12		R-30	635.45	0.50	0.031
13		P-28	615.21	0.50	0.030
14		R-22, P-25	4169.11	0.50	0.208
15		P-20	254.64	0.50	0.012
16		P-36	680.07	0.50	0.034
17		P-06	24.13	0.50	0.001
18		P-02	1068.63	0.50	0.053
19		P-195	6040.13	0.50	0.660
20		P-197	81.00	0.50	0.004
21		P-190	1271.00	0.50	0.063
22		P-194	1800.00	0.50	0.090
		Total	**32686.61**	**0.50**	**1.982**

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात् वह भूमि संरक्षित वन रहेगी।
2. वनभूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेंगे।
3. सूर्य अस्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जावेगा।
4. **वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्ष 1980 के पूर्व के मार्गों के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट आफ वे के अन्तर्गत ही दी जा रही है। राईट आफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।**
5. **प्रस्तावित कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष को काटा व हानि नही पहुंचाई जावेगी।**
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा। अर्थात समतलीकरण हेतु वनक्षेत्र में अन्य किसी स्थान पर खुदाई नही की जावेगी।
7. समतलीकरण कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्कता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नही किया जायेगा।
8. **खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नही पहुंचाई जायेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ो को नही काटा जायेगा।**
9. आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान को देय होगी।
10. राज्य शासन द्वारा की जाने वाली यह अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुवीक्षण किये जाने की शर्त के अधीन मान्य होगी।
11. यह वन भूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा। ऐंसे प्रयोजनों में बदलाव हेतु राज्य शासन के नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।
12. वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. परियोजना क्षेत्र में बसे हुये आदिम जाति (Primitive Tribal Communities) एवं कृषि–पूर्व समुदाय की मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।
14. वनों के संरक्षण, अनुरक्षण तथा संवर्धन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गईं अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा।
15. उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि उसके चारों ओर क्षेत्र में स्थित जीव जन्तुओं व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उसको संरक्षित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय भी करेगा, अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

16. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्ते उन्हें मान्य होंगी।

17. प्रस्तावित क्षेत्र की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई है जिसके अधीन कार्य किया जायेगा।

18. औपचारिक स्वीकृति जारी दिनांक से मात्र 01 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगी, इसके उपरांत स्वीकृति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी।

19. स्वीकृति की किसी भी शर्त के उल्लंघन होने की स्थिति में जारी स्वीकृति स्वमेव समाप्त समझी जावेगी।

20. **वनक्षेत्र में जहां वनों का घनत्व अधिक हो वहां किसी भी तरह की मशीनों से कार्य नही कराया जावेगा एवं पहाड़ी तथा घाटी मार्ग में मशीनों से कार्य नहीं किया जावेगा ऐसे क्षेत्रों में मात्र श्रमिकों के माध्यम से ही कार्य कराया जावे।**

यह स्वीकृति शासन निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही पश्चात् कार्य संपादन हेतु औपचारिक रूप से प्रदान की जा रही है। आप संबधित परिक्षेत्राधिकारी को सूचित कर मौके पर कार्य प्रारंभ कर सकेंगे।

(नरेश सिंह यादव)
(भा.व.से.)
वन मंडलाधिकारी
उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म.प्र.)
दिनांक 13-6-19

पृ0क्र0 / मा0चि0 / 2019 / 2676

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर पन्ना जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप वनमंडलाधिकारी विश्रामगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी अजयगढ़/धरमपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि आवेदक संस्थान को औपचारिक स्वीकृति जारी की जा रही है। पाईप लाईन का निर्माण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 1980 के पूर्व के मार्गो के अन्तर्गत आने वाले राईट ऑफ-वे को छोड़कर कहीं भी कार्य न करने दिया जाना सुनिश्चित करें, यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन न हो, यदि उल्लंघन पाया जावे तो तत्काल वन नियमों के तहत कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराये।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
25-6-19

Dasctop:/Latter 2019